2018/00016

सूरजप्रकाश बनाम गोविन्द

दावा संख्या : 12/2018

किया गया कि मोके की वास्तविक स्थिति जॉच कर न्यायालय मे प्रेषित करे । पटवारी द्वारा विवादित खसरा नम्बर 74 रकबा 0.15 हेक्टयर ग्राम बुद्वसिहंपुरा की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका अवलोकन किये जाने पर प्रथमदृष्टया साबित है कि विवादित भूमि के कुछ हिस्से पर चीलगाडी रेस्टोरेन्ट चल रहा है व उक्त खसरे के दोनों तरफ पक्की सडक बनी हुई है। कुछ भूमि पर चारदीवारी बनी हुई है तथा कुछ भूमि खाली पडी है तथा राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थी/प्रतिवादीगण के नाम अंकित है परन्तु मौके पर किसी प्रकार का कोई कृषि कार्य होना पटवारी ने रिपोर्ट मे अंकित नही कर उक्त भूमि पर आवासीय व व्यवसायिक गतिविधि होना बताया है ।

इसलिए प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है। परन्तु पटवारी रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि के कुछ हिस्से पर चीलगाडी रेस्टोरेन्ट चल रहा है उक्त खसरे के दोनों तरफ पक्की सडक बनी हुई है। कुछ भूमि पर चारदीवारी बनी हुई है तथा कुछ भूमि खाली पडी है ऐसी अवस्था मे साबित है कि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई कृषि कार्य नही हो रहा है इसलिए वादी का वाद इस न्यायालय मे चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो बादतकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को सुनाया गया ।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

सूरजप्रकाश बनाम गोविन्द

दावा संख्या : 12/2018

20-12-2019

पत्रावली पेश हुई । प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 पर प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो का दोहरान किया कि वादी के उक्त वाद में भूमि साबिक खसरा नम्बर 37 रकबा 13 बीस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 74 रकबा 0.15 हैकटयर वाके ग्राम बुद्वसिहंपुरा तहसील सांगानेर के सबंध मे मिन प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारो का अवसान होने की धोषणा का अनुतोष चाहा जबकि उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकर्ड मे बतौर खातेदार काश्तकार अंकित है मिन प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि कभी किसी समिति को विक्रय नही की जिससे उक्त भूमि की कोई 90 ए की कार्यवाही नही हुई है तथा मान्य न्यायालय को उक्त वाद इस संबध मे सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित व मान्य न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकारी नहीं होने के कारण वाद खारिज होने योग्य है अतः वाद खारिज फरमाया जावे ।

अप्रार्थी/वादी के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो का दोहरान किया कि प्रार्थी के हकपूर्वाधिकारी द्वारा उक्त भूमि सुभाष सिन्धी गृह निर्माण सहकारी समिति को विकय कर दिया जिस तथ्य से प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा इन्कार नही किया गया ऐसी अवस्था मे प्रार्थी इकरारनामे को स्वीकार करते है तथा किसी काश्तकार द्वारा कृषि भूमि को बिना सक्षम अधिकार की अनुमति के गैर कृषि के उपयोग हेतु विकय किया जाता है तो जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (7) के तहत कृषक के खातेदारी अधिकारो का अवसान हो जाता है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत कोई भी व्यक्ति खातेदार काश्तकार नही होने के उपरान्त भी धोषणा के लिए दावा कर सकता है तथा विधि अनुसार मान्य न्यायालय को उक्त वाद की श्रवणाधिकारिता प्राप्त है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया अप्रार्थी/ वादी ने उक्त वाद भूमि साविक खसरा नम्बर 37 रकबा 13 बीस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 74 रकबा 0.15 हैकटयर वाके ग्राम बुद्वसिहंपुरा तहसील सांगानेर के सबंध मे मिन प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारो का अवसान होने की धोषणा के बाबत इस आधार पर प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के हकपूर्वाधिकारी द्वारा उक्त भूमि को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के गैर कृषि के उपयोग हेतु सुभाष सिन्धी गृह निर्माण सहकारी समिति को विकय कर दिया इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (7) के तहत कृषक के खातेदारी अधिकारो का अवसान हो चुका है प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा दिनॉक 19.05.1975 की फोटो प्रति का अवलोकन करने से उक्त तथ्य प्रथम दृष्टया प्रतीत है कि अप्रार्थी/प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी द्वारा विवादग्रस्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 37 का विकय सुभाष सिन्धी गृह निर्माण सहकारी समिति को कर दिया गया तथा उसी अनुकम ने प्रार्थी/वादी के हक मे आवासीय प्लॉट संख्या 99 क्षेत्रफल 53.30 वर्गगज एवं 100 का 53.30 वर्गगज क्षेत्रफल यानी कुल 106.60 वर्गगज के पटटे जारी किये गये है जो दस्तावेज सूची के साथ प्रस्तुत है तत्पश्चात पटवारी हल्का को आदेशित

उप-खण्ड ...
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ghanshyam Sharma
Date: 2020.02.15 13:11:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: